सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 560 राँची, गुरुवार

**15** श्रावण, 1937 (श०)

**6 अगस्त**, 2015 (ई०)

### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

---

संकल्प

23 जुलाई, 2015

विषय- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची -1 तथा अनुसूची -2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि " तेली (कुलु/गोराई)" जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची

(अनुसूची-प्) में समावेशित/दर्ज किया जाय तथा पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-प्प्) के क्रमांक-13 से तेली (कुलु/गोराई) जाति को विलोपित किया जाय,'' के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जायः-

समावेशन (अनुसूची-1)

(i) तेली (कुलु/गोराई) जाति को क्रमांक- 120 के बाद रिक्त क्रमांक- 121 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन (अनुसूची-2)

(ii) चूँकि तेली (कुलु/गोराई) जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक - 121 पर समावेशित किया गया है, अतएव तेली (कुलु/गोराई) जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक - 13 से विलोपित किया जाय।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रतन कुमार,
सरकार के सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 560—50 ।